

मूल धारा में लिखी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

..... पूरणराम पुत्र रामचन्द्र बनाम श्रीराम पुत्र रामचन्द्र प्राप्ति महापत्र
 प्राप्ति महापत्र निवासी निवासी रामवास
 दावा बाबत :- मापका
 मुकदमा नम्बर :- 02/19
 निर्णय दिनांक :- 25.11.21

वादी की ओर से वकील रविन्द्र पारवत की व प्रतिवादी सं० की ओर
 से वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.11.21 को
 मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर
 आदेश दिया जाता है कि

राही भोजा रामवास के खाता सं० 83/86 के खातेदारों में
144, 155, 156, 159, 344, 345 की कुल 15.648 हे० खातेदारों में
अपीता-र के पिता रामचन्द्र के नाम 1028/35 हिस्सा दर्ज है, रामचन्द्र
के देहांत के बाद अपीता-र का हिस्सा 1028/35 राजस्व रिजॉर्ड में
दर्ज हो गया। अपीता-र ने रेपोडेन्ट सं० 01 में सम्पूर्ण हिस्सा 1028/35
अपने पत्र में दिनांक 04.04.2001 को परिषद दखवारी करा ली।
निम्न अपीता-र पूरणराम का हिस्सा 2056/35 हो गया। लेकिन
परिषद इन्तजाल सं० 249 दिनांक 03.08.2002 द्वारा दखवारी के मुताबिक
रेपोडेन्ट सं० 244 व 245 के पिता व पति तथा श्रीमती देवी पत्नी
रामचन्द्र के नाम दर्ज हो गया। अतः वधु सुनी पांडर प्रार्थना
पत्र 75-LRAK को खींचा जाय किन्तु तक्षीतगत भादरा
को आदेशित किया जाय है कि वे नामांतरण सं० 249 दिनांक
03.08.2002 को अपात 35 नामांतरण रमितल खाता जाय
अपीता-र पूरणराम के हिस्से में 2056/35 हिस्सा दर्ज कर
व रोष रेपोडेन्ट का हिस्सा अनुसूचित राजस्व रिजॉर्ड उद्धृत करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। (अर्जीदावा प्रार्थना पत्र, दखवारी की प्रमाणित
 प्रति को निर्णय का भरण पत्र भावी
 यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की
 गई।


 (शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़